

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई विल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1978/फाल्गुन 26, 1899

No. 83] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1978/PHALGUNA 26, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सर्क।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## विवेश मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1978

जी एस. आर. 176(अ)—उत्प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का 7) की धारा 15 द्वार प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार प्रियेन्द्रम के तथाई अब्हुई को ऐसा हवाहं अब्हुं। निर्दिष्ट 'गस्ती है' जहां से कुशल कार्य के लिए उत्त्रवास कानूनी होगा।

[एन. 8/381/3**/78**]

पल. एन रगाराजन, महानिधन्नक, उत्प्रवास

## 238 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1978

G.S.R. 176(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Emigration Act, 1922 (7 of 1922), the Central Government hereby specifies Trivandium airport as an airport from which emigration for the purpose of skilled work shall be lawful

[N VIII/381/3/78]

L N RANGARAJAN, Controller General of Emigration